न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 15 / 2020

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
शांति देवी पुत्री हेमाराम पत्नी रूपाराम जाति जाट निवासी सिरसला तहसील मेडता जिला नागौर।		1इन्द्रा पुत्री पूनाराम पत्नी नारायणराम जाति जाट निवासी मारवाड मुण्डवा जिला नागौर। 2माया देवी पत्नी रामाकिशन जाति जाट निवासी सिरसला तहसील मेडता जिला नागौर। 3रामाकिशन पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासी सिरसला तहसील मेडता जिला नागौर। 4तहसीलदार (भू.अ.) डेगाना। 5जगदीश विश्नोई पुत्र बिरमाराम जाति विश्नोई निवासी विष्णुनगर तहसील डेगाना जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री प्रेमसुख फिडौदा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कैलाश गालवा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से।
3. श्री हनुमान फिडौदा अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 की ओर से।
4. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 4 की ओर से।
5. श्री अशोक कुमार वैष्णव अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 5 की ओर से।

निर्णय

दिनांक 05.03.21

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, (भू.अ.) डेगाना द्वारा ग्राम बुटाटी के नामान्तरकरण सं. 709 प्रविष्टि दिनांक 20.03.2020 मे पारित निर्णय दिनांक 03.04.20 से असंतुष्ट होकर दिनांक 16.06.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 19.06.2020 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 की ओर से श्री कैलाश गालवा अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 की ओर से श्री हनुमान फिडौदा अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट सं. 4 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता तथा रेस्पोडेन्ट सं. 5 की ओर से श्री अशोक कुमार वैष्णव अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में नामान्तरकरण सं. 709 दिनांक 20.03.2020 की फोटोप्रति, इन्द्रा के राशन कार्ड की फोटोप्रति, इन्द्रा के भामाशाह कार्ड की फोटोप्रति, इन्द्रा के आधार कार्ड की फोटोप्रति, दानाराम के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, बेचान दस्तावेज द्वारा दानाराम की फोटोप्रति, एफ आई आर की फोटोप्रति, स्व. दानाराम के राशन कार्ड की फोटोप्रति, शांति के आधार कार्ड की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत ग्वालू द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की फोटोप्रति, ग्राम पंचायत बुटाटी द्वारा जारी उत्तराधिकार प्रमाण पत्र की फोटोप्रति तथा दानाराम के राशन कार्ड की फोटोप्रति तथा रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने इकरारनामे की फोटोप्रति, दावे की फोटोप्रति, मौजा बुटाटी के खसरा नं. 232 की जमाबंदी की फोटोप्रति, मौजा बुटाटी के खसरा नं. 91 व 95 की फोटोप्रति, मौजा बुटाटी के खसरा सं. 328 की जमाबंदी की फोटोप्रति, इन्द्रा द्वारा प्रस्तुत दावे की फोटोप्रति, जगदीश द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की फोटोप्रति, भंवरी देवी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र की फोटोप्रति, मौजा बुटाटी के नामान्तरकरण सं. 214 की फोटोप्रति तथा मौजा बुटाटी के खसरा नं. 236, 237, 59, 94, 96, 439, 193, 247 की संवत 2018 से 23 की फोटोप्रति तथा रेस्पोडेन्ट सं. 5 द्वारा रजिस्ट्री की फोटोप्रति पेश की गई।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि खेत खसरा नं. 328 रकबा 7.2000 हैक्ट. 3/16 भाग मौजा बुटाटी पर कब्जा काश्त अपीलांट का स्व. दानाराम के फौत होने के तुरंत बाद से लगातार अर्थात दिनांक 19.5.20 से आज दिन तक चला आ रहा है। अपीलांट द्वारा कॉपरेटिव बैंक से लोन आदि लेने तथा किसान क्रेडिट कार्ड बनाने हेतु जमाबंदी की आवश्यकता होने से पटवारी से दिनांक 10.6.20 को सम्पर्क किया और खसरा नं. 328 की जमाबंदी की मांग की तब पटवारी द्वारा बताया गया कि उक्त खेत की खातेदारी आपके नाम नही है और उक्त खेत का स्व. दानाराम का फौतगी म्यूटेशन इन्द्रादेवी के नाम से स्वीकृत हो चुका है। फिर अपीलांट द्वारा कानूनी जानकारी लेने पर किसी जानकार द्वारा बताया गया कि आप म्यूटेशन अपील करो। तब पटवारी से उक्त खेत की म्यूटेशन नकल मांगने पर दिनांक 15.6.20 को शाम 6 बजे अपीलांट को उक्त म्यूटेशन की नकले मिली। तत्श्चात दिनांक 16.6.20 को अपीलांट के वकील साब से सर्म्पक कर उपरोक्त म्यूटेशन अपील तैयार करा कर पेश की। जिससे अपीलांट को जैर अपील म्यूटेशन प्रविष्टि की प्रथम बार जानकारी दिनांक 15.6.20 को होने से और दिनांक 16.6.20 को उक्त अपील न्यायालय हाजा मे पेश की। जिसे अंदर मियाद शुमार करना न्याय संगत है। अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र तस्दीकसुदा प्रस्तुत किया गया है। जो माकूल आधार पर प्रतीत होता है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अंतिम बहस शुरू करते हुए वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)–म्यूटेशन प्रविष्टि सं. 709 दिनांक 20.3.20 तथ्यो एवं कानून के विरूद्व स्वीकृत किया गया है। जो प्रथम दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(II)–अपीलांट स्व. दानाराम की विधिक उत्तराधिकारी होने के बावजूद अपीलांट को बिना नोटिस दिये एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये, बाला–बाला मे ही इकतरफा मे ही जैर अपील म्यूटेशन स्वीकृत कर दिया गया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत हाने से निरस्तनीय है।

{2}(III)–अपीलांट स्व. दानाराम की जाइन्दा सगी बहन होने से एवं स्व. दानाराम के जाइन्दा कोई औलाद एवं अपीलांट के अलावा अन्य कोई भाई बहन नही होने से अपीलांट एक मात्र स्व. दानाराम की हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार विधिक उत्तराधिकारी है। जिसकी ताईद सरपंच ग्राम पंचायत बुटाटी द्वारा उतराधिकार प्रमाण पत्र दिनांक 3.6.20 से साबित है। इसके अतिरिक्त अपीलांट का भामाशाह कार्ड बना हुआ है। उसमे भी बतौर पिता नाम हेमाराम दर्ज है। जिससे भी अपीलांट स्व. दानाराम की जाइन्दा बहन होने से हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी है।

{2}(IV)–रेस्पोडेन्ट सं. 1 इन्द्रा देवी का राज्य सरकार द्वारा पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, परिवार कार्ड इत्यादि बनाये गये है। उनमे रेस्पोडेन्ट के पिता का नाम पूनाराम, माता का नाम भंवरी देवी, पति का नाम नारायणराम दर्ज है। उक्त सभी पहचान पत्र जो आज दिन तक भी परिवार राशन कार्ड मे इन्द्रा देवी के पिता का नाम पूनाराम व माता का नाम भंवरी देवी रहता चला आ रहा है और दिनांक 7.6.20 तक राशन कार्ड आदि रेस्पोडेन्ट इन्द्रा द्वारा उठाया जा रहा है। रेस्पोडेन्ट की माता भंवरी देवी मात्र कुछ समय के लिये स्व. दानाराम की पत्नी रहने मात्र के आधार पर उनका गलत फायदा उठाने की नियत से स्व. दानाराम की कीमती भूमि की मालिक बनने के लिये अपनी नियत खराब करके रेस्पोडेन्ट इन्द्रा देवी द्वारा अपने पति व परिवार के सदस्यो के साथ मिलकर कूटरचना व फर्जी दस्तावेज आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड जो पूर्व मे बने हुए थे उनके स्थान पर उन दस्तावेजो मे कूटरचना करके उक्त आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड मे रेस्पोडेन्ट सं. 1 के पिता का नाम पूनाराम अंकित था, उसके स्थान पर दानाराम अंकित कर दिया गया। उक्त कृत्य के लिये रेस्पोडेन्ट सं. 1 पर धारा 420, 467, 468, 471 एवं 120 बी भादस मे प्रकरण दर्ज हो रखा है जो जैर तफतीश है। जैर म्यूटेशन की आड मे स्व. दानाराम की भूमि को राजस्व रेकर्ड मे अपने नाम दर्ज करा कर षडयंत्र के तहत स्व. दानाराम के नाम की भूमि आगे जरिये बेचान हस्तान्तरण भी कर दी है। जिसका राजस्व दावा सहायक कलक्टर, डेगाना के न्यायालय मे विचाराधीन है और उसमे अपीलांट के पक्ष मे स्टे भी हो रखा है। जिससे जैर अपील म्यूटेशन निरस्तनीय है।

{2}(V)–रेस्पोडेन्ट सं. 1 इन्द्रा देवी एवं उनकी माता भंवरीदेवी स्व. दानाराम के परिवार की किसी तरह से कभी भी सदस्य नही रही है। स्व. दानाराम का राशन कार्ड मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड इत्यादि किसी

अपर कलक्टर, नागौर

भी सरकारी दस्तावेज से ये लोग पारिवारिक सदस्य साबित नही है। दिनांक 19.5.19 को स्व. दानाराम की मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्ट सं. 1 द्वारा स्व. दानाराम की सम्पति हडपने के लिये छल कपट, करके कूटरचित सरकारी दस्तावेज तैयार करके रेस्पोडेन्ट सं. 4 तहसीलदार डेगाना से सांठ गांठ करके म्यूटेशन जैर अपील स्वीकृत कराया गया है। जो निरस्तनीय है।

{2}(VI)–स्व. दानाराम द्वारा अपने जीवनकाल मे दिनांक 12.9.18 को अपनी खातेदारी के खेताय खसरा नं. 121 रकबा 0.8296 हैक्ट. रेस्पोडेन्ट सं. 3 रामाकिशन एवं खसरा नं. 317 रकबा 1.4300 हैक्ट. रेस्पोडेन्ट सं. 2 मायादेवी को जरिये रजिस्टर्ड बेचान के हस्तान्तरण कर दिया गया था, जिनकी प्रविष्टि भी जैर अपील म्यूटेशन मे दर्ज होने से एवं उनका भी इस अपील मे हित निहित होने से पक्षकार बनाया गया है।

{2}(VII)–दिनांक 12.9.18 को खसरा सं. 121 रकबा 0.8296 एवं खसरा नं. 317 रकबा 1.43 हैक्ट. भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान के रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 के पक्ष मे निष्पादित हो चुका है उक्त निष्पादन की प्रति पटवारी व आरआई को भी दी जा चुकी थी और पटवारी तथा आरआई द्वारा उक्त निष्पादन की जानकारी रेस्पोडेन्ट सं. 4 तहसीलदार डेगाना को दी जा चुकी थी, जिससे माफिक कानून स्व. दानाराम की मृत्यु के पश्चात जो जैर अपील म्यूटेशन सं. 709 दिनांक 20.3.20 किया गया। स्व. दानाराम बेचान कर देने के पश्चात भी जरिये उतराधिकार उक्त म्यूटेशन रेस्पो. सं. 1 के नाम से स्वीकृत करना पूरी तरह से कानून की अवहेलना करते हुए नियम विरूद्व तरीके से स्वीकृत किया गया है। जो निरस्तनीय है।

{3}–रेस्पोडेन्ट सं. 1 के अधिवक्ता ने अपनी बहस शुरू करते हुए बताया कि –

{3}(I)–भंवरी देवी दानाराम की पत्नी रही, जिसका पीहर पूनास मे हरकाराम की पुत्री थी। पूर्व मे उसने शादी दानाराम पुत्र हेमाराम से की। जिससे एक लडकी पैदा हुई। उसका नाम इन्द्रा है। अपीलांट शांति देवी उसके पति दानाराम की बहिन है। जो हमेशा झगडा टंटा करने से ग्राम बुटाटी द्वारा पंचायती से दिनांक 18.7.81 को छुटापा हो गया। तब उसकी पुत्री इन्द्रा भंवरी देवी के साथ ही रही है। इसलिये इन्द्रा देवी दानाराम की एक मात्र संतान होने से उसका विरासत मे नामान्तरकरण भरा गया है। जो विधि अनुसार है।

{3}(II)–अपीलांट के पिता हेमाराम फौत होने पर ग्राम बुटाटी स्थित भूमि का विरासत नामान्तरकरण सं. 214 दानाराम पुत्र हेमाराम के नाम स्वीकृत हुआ था। जिसमे भी अपीलांट का हक हिस्सा होते हुए भी उसने कोई अपील नही की। ग्राम बुटाटी मे स्थित 138.19 बीघा भूमि मे धनाराम अकेला का हिस्सा कम रखने का उद्देश्य भूमि हडपने की नियत ही रही है।

{3}(III)–वकील रेस्पोडेन्ट ने यह भी बताया कि नामान्तरकरण की कार्यवाही समरी प्रोसेडिंग के द्वारा की जाती है। विवादित भूमि को लेकर अपीलांट शांति देवी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 188 एवं धारा 91 अ के तहत घोषणा खातेदारी, स्थायी निषेधाज्ञा एवं रेकर्ड दुरूस्ती का राजस्व वाद सं. 63/2020 शांति देवी बनाम इन्द्रा देवी न्यायालय सहायक कलक्टर डेगाना मे प्रस्तुत किया हुआ है जहां पक्षकारो के स्वत्व अधिकार तय होगे। रजिस्ट्री निरस्तीकरण का दावा भी सक्षम न्यायालय मे पेश किया हुआ है तथा अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी 2019(2) पेज 1118 से 1120, पेज 1125 से 1128, आरआरटी 2011(2) पेज 1264 से 1267, आरआरटी 2005(1) पेज 665 से 669, आरआरटी 2004(1) पेज 489 से 491 तथा आरआरटी 2004(2) पेज 1231 से 1234 नजीरे पेश की।

{4}–वकील अपीलांट ने वकील रेस्पोडेन्ट की बहस का जवाब देते हुए बताया कि लिखापढी दिनांक 10.1.81 फर्जी है तथा यह सरकारी दस्तावेज नही है। इनके स्वयं के द्वारा तैयार किये गये दस्तावेजो का कानूनी महत्व नही है तथा अपने कथन के समर्थन मे सिविल कोर्ट केसेज 2013(2) पेज 3 से 6 तथा सिविल कोर्ट केसेज 2015(4) पेज 578 से 583 नजीरे पेश की।

{5}–रेस्पोडेन्ट सं. 2 व 3 के अधिवक्ता ने अपीलांट की बहस का समर्थन किया है।

{6}–रेस्पोडेन्ट सं. 5 के अधिवक्ता ने अपनी बहस शुरू करते हुए बताया कि अपीलांट को विधि अनुसार विरासत मे मिली भूमि मे से खसरा नं. 121, 318, 328 की भूमि का रेस्पोडेन्ट सं. 1 इन्द्रा के नाम दर्ज खेताय मे से 1/2 हिस्से की राशि दिनांक 1.6.2020 को प्रतिफल देकर जरिये पंजीकृत विक्रय विलेख के क्रय की गई है। नामान्तरकरण जैर अपील विधिसम्मत है। इसलिये यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{7}–उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मौजा बुटाटी के नामान्तरकरण सं. 709 प्रविष्टि दिनांक 20.03.2020 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील

अपर कलक्टर, नागौर

प्रस्तुत की गई है। उक्त नामान्तरकरण खातेदार दानाराम फौत होने पर उसके वारिस के नाम खोला गया है। जो तहसीलदार डेगाना द्वारा दिनांक 03.04.2020 स्वीकृत किया गया है। नामान्तरकरण जैर अपील विरासत के आधार पर भरा गया है, नामान्तरकरण की कार्यवाही सरसरी कार्यवाही है। जहां अधिकार या स्वत्व सृजित नही होते है। स्वत्व की घोषणा हेतु नियमित वाद आवश्यक है। विवादित भूमि को लेकर न्यायालय सहायक कलक्टर डेगाना के वाद सं. 63/2020 शांति देवी बनाम इन्द्रा देवी घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का विचाराधीन है। इस तथ्य को लेकर दोनो पक्षो मे कोई विरोधाभासी कथन भी नही है। नियमित वाद जहां पक्षकारो के स्वत्व अधिकार निर्धारित होने है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील मे कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{8}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील खारिज की जाती है।

{9}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर